

2022/309

फर्द अहकाम

नानगराम बनाम यांधूराम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 156/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	18/10/22	पत्रावली पेश हुई। वकील अर्थात् एवं वकील अर्थात् ल. 24/2018 के उपायित। पत्रावली वाले शेष की इंतजार वली एवं जवाब ता हेतु जिले 15.11.22 को पेश की
	15/11/2022	पत्रावली पेश हुई। वकील अर्थात् ल. लगा 5 को और से जवाब ता. पेश जो शामिल मिल है। वकील पत्रकारान की, प्रार्थना-पत्र अंतरिम निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गयी। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन एवं वकील उभयपक्षकारान द्वारा की गयी बहस पर मनन किया गया। वादगृह आराजी खसरा नं. 180 रकबा 2.3646 है, खसरा नं. 240/11 रकबा 0.7840 है, खं नं. 511/234 रकबा 2.0232 है कुल कितना उरुबा 5.1718 है। वाके ग्राम खौरी, पवार हल्का क्षर, तहसील बस्सी, जिला जयपुर के सम्बन्ध में उभयपक्षकारान को वाद के निर्णय तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पावन्दा किया जाता है कि वे स्वतः वाद गृह भूमि की, वाद के निर्णय तक यथास्थिति बनाये रखेंगे।

फर्द अहकाम

2022/309

नाम नानाप्रसाद

वनाम पांचुसाह

तल्लय

सहायक कलक्टर बरसी जिला बल्लार

156/22

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>तथा उक्त भूमि पर काश्त के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करेंगे। पत्रावली के तल सुमार होकर बाद तकमील मूलवाद के साथ हमफ्रीता लो</p> <p><i>[Signature]</i></p>	

